भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4981

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना

4981. श्रीमती. हिमाद्रि सिंह:

श्री रमेश अवस्थी:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह:

श्री गणेश सिंह:

डॉ. राजेश मिश्रा:

श्री आलोक शर्मा:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री मनोज तिवारी:

श्री राजकुमार चाहर:

डॉ. हेमन्त विष्णु सवरा:

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमकेएसएनवाई) के अंतर्गत विशेषकर सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को फरवरी 2025 तक कुल कितनी धनराशि का संवितरण किया गया है;

(ख) उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या, विशेषकर उत्तराखंड राज्य और मध्य प्रदेश के भोपाल, शहडोल और सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या फरवरी 2025 तक कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों में महिला लाभार्थियों का राज्यवार अनुपात तथा समानुपात कितना है; और

(घ) उक्त योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था । इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 19 किस्तों में रुपये 3.68 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी, 2025 को जारी की गई और 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला। इनमें से 83.33 लाख से अधिक लाभार्थी मध्य प्रदेश से और 8.2 लाख से अधिक लाभार्थी उत्तराखंड से हैं।

पीएम-किसान योजना के अंतर्गत संसदीय क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । हालांकि, पीएम-किसान की 19वीं किस्त के अंतर्गत भोपाल, सीहोर, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, कटनी, सीधी, सिंगरौली जिलों में जारी लाभ का जिलावार डेटा इस प्रकार है:

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**लाभार्थियों की संख्या**	**वितरित राशि (रुपये करोड़ में)**
1	भोपाल	60,808	12.92
2	सीहोर	1,68,995	35.37
3	शाहडोल	1,15,396	24.37
4	अनुपपुर	86,873	18.59
5	उमरिया	88,516	19.14
6	कटनी	1,56,472	34.48
7	सीधी	1,32,873	29.27
8	सिंगरौली	1,40,672	30.58

(ग): पीएम-किसान योजना सभी किसानों के लिए लागू है, चाहे उनकी कृषि योग्य भूमि का माप कुछ भी हो, सिवाय उन किसानों के जो इस योजना के बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आते हैं । पीएम-किसान की 19वीं किस्त के तहत लाभान्वित महिला लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(घ): भारत सरकार और राज्य सरकारें देश भर में पीएम-किसान के प्रचार के लिए कई गतिविधियाँ चलाती हैं, जिनमें नियमित अंतराल पर समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क, डीडी किसान पर कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय प्रचार/जागरूकता अभियान सहित पीएम-किसान के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक खर्च भी प्रदान करता है।

लो.स.अता.प्र.सं.4981

<u>अनुबंध</u>

<u>पीएम-किसान की 19वीं किस्त के तहत लाभान्वित महिला लाभार्थियों का राज्यवार विवरण</u>

राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रु.करोड़ में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,954	1.18
आंध्र प्रदेश	14,31,134	307.12
अरुणाचल प्रदेश	50,154	11.83
असम	5,03,528	118.22
बिहार	23,45,194	493.24
छत्तीसगढ	5,08,979	125.16
दिल्ली	1,916	0.44
गोवा	887	0.19
गुजरात	14,58,974	341.79
हरियाणा	2,76,531	64.72
हिमाचल प्रदेश	1,45,135	36.95
जम्मू और कश्मीर	92,949	22.70
झारखंड	6,62,911	261.66
कर्नाटक	10,46,967	219.11
केरल	12,78,105	289.60
लद्दाख	3,001	0.64
लक्षद्वीप	1,153	0.25
मध्य प्रदेश	17,63,844	383.10
महाराष्ट्र	18,44,200	407.68
मणिपुर	98,797	68.26
मेघालय	1,34,372	32.77
मिजोरम	55,396	21.08
नागालैंड	1,03,313	27.83
ओडिशा	8,74,722	253.71
पुदुचेरी	2,963	0.62
पंजाब	10,765	2.66
राजस्थान	24,15,602	591.82
सिक्किम	8,300	2.08
तमिलनाडु	5,07,731	112.01
तेलंगाना	8,81,189	185.70
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,730	0.60
त्रिपुरा	54,793	12.25
उत्तर प्रदेश	45,76,642	1,179.75
उत्तराखंड	1,42,775	32.79
पश्चिम बंगाल	8,31,998	180.51
कुल योग	**2,41,22,604**	**5,790.03**

*****